अवसर. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने जेएसएससी को भेजी अधियाचना

झारखंड पुलिस में दारोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष 946 पदों पर होगी बहाली

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड पुलिस में दारोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष कंपनी कमांडर के रिक्त 946 पदों पर नियुक्तियों का का रास्ता साफ हो गया है. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने जेएसएससी (झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) को भेज दिया है. अब जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जायेगा.

पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के समय यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा था. फिर गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को जेएसएससी को भेज दिया था. लेकिन, नियोजन नीति में बदलाव होने के कारण जेएसएससी ने पुलिस मुख्यालय से नये नियम के तहत संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने नयी नियोजन नीति के तहत संशोधित प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा था, जिसे गृह विभाग ने जेएसएससी को भेज दिया है. अब जेएसएससी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के पूर्व की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है.

2012 में 380 और 2018 में 2580 पदों पर हुई थी सीधी बहाली : झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां पर दारोगा व समकक्ष पदों पर पहली बार 2012 में 380 पदों पर व 2018 में 2580 पदों पर डायरेक्ट बहाली हुई थी. इसके अलावा विभागीय सीमित परीक्षा के जरिये आरक्षी से दारोगा में प्रोन्नति के लिए 1544 पदों पर बहाली निकाली गयी थी. लेकिन, इसमें 396 पदों पर ही आरक्षियों का चयन हो सका. कैबिनेट ने विभागीय सीमित कम से कम दो बार आयोजित करने की मंजूरी दी थी, लेकिन दोबारा यह परीक्षा नहीं हुई. 2012 में हुई दारोगा बहाली की प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आयी थी. मामला हाइकोर्ट में गया. कोर्ट के आदेश पर घोषित परिणाम में बदलाव कर बहाली प्रक्रिया पूरी की गयी.

झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर सिपाहियों की भी होगी भर्ती

बांग्ला, ओड़िया सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी सीएपीएफ कॉन्स्टेबल परीक्षा

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराये जाने को मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा कराने के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक निर्णय सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की संख्या बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर लिया गया है. इस घोषणा से कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अमित शाह को पत्र लिखकर सीआरपीएफ कर्मियों की भर्ती के लिए तमिल को भी लिखित परीक्षा की भाषा के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया था.

इन भाषाओं में होगी परीक्षा: हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी.

बाकी पेज 13 पर